न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 298/2019

वादी :–
1–बलराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट
निवासी जसनगर तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
प्रतिवादीगण :–
1–रामलाल पुत्र भागुराम जाति जाट
2–शंकरलाल पुत्र भागुराम जाति जाट
निवासीगण जसनगर तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
3–तहसीलदार रियांबड़ी
4–पटवार हल्का जसनगर

दावा बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

निर्णय

दिनांक :–09-11-2022

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद पेश है :–

1–यह है कि मौजा जसनगर की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1687 रकबा 0.27 हैक्टर भूमि आई हुई है। जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है।

2–यह है कि खसरा नंबर 1687 रकबा 0.27 हैक्टर में सें रकबा 0.09 हैक्टर अर्थात 1/3 हिस्सा पश्चिमी दिशा पर काश्त व कब्जा पूर्व में वादी के पूर्वज काश्त व काबिज थे तथा वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी बेरोक–टोक आज दिन तक काश्त व काबिज है।

3–यह है कि खसरा नंबर 1687 रकबा 0.09 हैक्टर पर काश्त व कब्जा वादी का चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा किया गया था और माफिक बंटानुसार अपने अपने बंट पर काबिज हो गये मगर राजस्व रेकार्ड माफिक बंटवाड़ा इन्द्राज नहीं हुआ और सहवन से वादी के हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई। जिससे वादी को खातेदारी घोषणा का वाद पेश करना आवश्यक होने से वाद घोषणा खातेदारी का पेश है।

4–यह है कि वादी के काश्त व कब्जा की भूमि सहवन से प्रतिवादीगण के नाम गलत खातेदारी दर्ज होने से प्रतिवादीगण के दिल में बदनियति आ गई तथा प्रतिवदीगण ने राजस्व कर्मचारीयों व अधिकारीयो से मिलीभगत करते हुए उक्त विवादित खसरा की खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया। जिसकी जानकारी वादी ने केसीसी योजना ऋण लेने व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिय जब पटवारी हल्का से दिनांक 25.9.2019 नकले प्राप्त की तब वादी को इस रेकर्ड अशुद्वि की जानकारी हुई। पटवारी हल्का को उक्त अशुद्वि को शुद्व करने का निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने हेतू कहा। जिससे वादी यह रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश कर रहा है।

5–यह है कि उक्त खसरान के अलावा अन्य खसरान मौके पर रेकर्ड में सही है। मगर उक्त खसरान का मौके के अनुसार खातेदारी में इन्द्राज नहीं है जिससे वादी ने प्रतिवादी को मौके के अनुार राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाड़ा करवाने हेतू कहा मगर प्रतिवादीगण हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते रहे। जिससे वादी यह वाद पेश कर रहा है। तथा खसरा नंबर 1719/721 सम्पूर्ण व 1722 में सें 1/4 की कृषि भूमि जिसको प्रतिवादीगण ने खातेदारी श्रीमान के न्यायालय में वाद पेश कर अपने नाम दर्ज करवा ली थी जिसमें मेरी सहमति थी।

6–यह है कि उक्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। इस वजह से खातेदारी की आड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी क हक व अधिकारो को

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी जिला-नागौर

चुनोति दे रहा है। बेचान व हस्तान्तरण की धमकी दे रहा है। वादी के काश्त व कब्जे में दखलदांजी कर रहे है। इसलिए वादी के काश्त व कब्जे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वंय करे और ना ही किसी अन्य से करवावें। इसलिए वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रहा है।

7–यह है कि इस्तकरार हक इस अमर का जारी फरमाया जावे कि मौजा जसनगर के खसरा नंबर 1687 रकबा 0.27 हैक्टर में सें 1/3 भाग अर्थात 0.09 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी की कश्त व कब्जासुद घोषित की जावें। तथा स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वादी के काश्त व कब्जे सुद भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वंय करे और ना ही किसी अन्य से करवावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। वाद संख्या 273/2019 दुर्गाराम बनाम रामलाल की आदेशिका दिनांक 25.3.2021 में दिये गये आदेश अनुसार इस वाद को समान शीर्षक होने से वाद संख्या 273/19 के साथ नत्थी किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए। वकील श्री कैलाशराम कलवानियां ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से वकालतनामा पेश करने की अन्डरटेंकिग ली गई। परंतु पर्याप्त समय देने के उपरात वकालतनामा पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात उनके विरूध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी की ओर से वकील श्री रामकिशोर तिवाड़ी ने वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है। लेकिन पूर्वजो के बंट के अनुसार वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से पर वादी का काश्त व कब्जा है और आज दिनांक कायम है। सहवन से प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। प्रतिवादीगण ने जसनगर के खसरा नंबर 1721,खसरा नंबर 1719 व 1722 के संबंध में रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया जिसका निर्णय उनके पक्ष में हुआ जिसमें मैने आपत्ति नहीं की गई। प्रतिवादीगण को अगर कोई आपत्ति होती तो अपना पक्ष रखने बाबत नियत समय पर उपस्थित होते। उनके उपस्थित नहीं होने से यह साबित होता है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा वादी के नाम खातेदारी घोषित की जावें।

वादी वकील बहस पर मनन किया गया। राजस्व रेकार्ड व साक्ष्य शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा "मौजा जसनगर के खसरा नंबर 1687 रकबा 0.27 हैक्टर में सें वादी बलराम का 1/3 हिस्सा यानि 0.09 हैक्टर भूमि खातेदारी की घोषित की जाती है।" तहसीलदार रियांबडी किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो राजस्व रेकार्ड में इस आशय का अमल दरामद किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी जिला-नागोर

निर्णय आज दिनांक 09-11-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी जिला-नागोर

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी